

भारत सरकार
भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2603
16.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स के विनिर्माण को बढ़ावा देना

2603 श्री जगदम्बिका पाल:

श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:

क्या भारी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 7,280 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स (आरईपीएम) के विनिर्माण को बढ़ावा देने हेतु एक योजना को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना के अंतर्गत देश में स्थापित की जाने वाली आरईपीएम की प्रस्तावित वार्षिक एकीकृत विनिर्माण क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ग) वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक बोली के माध्यम से चयनित किए जाने वाले प्रस्तावित लाभार्थियों की संख्या कितनी है और उक्त चयन के लिए क्या मानदंड हैं;

(घ) उक्त योजना की अवधि के दौरान प्रदान किए जाने वाले बिक्री-संबंधी प्रोत्साहन और पूंजीगत राजसहायता का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त योजना से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले आयातित रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स पर भारत की निर्भरता कम होने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं, नवाचार और रोजगार सृजन पर इसका क्या संभावित प्रभाव होगा?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री
(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख): केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 26 नवंबर, 2025 को 7,280 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के निर्माण को बढ़ावा देने की स्कीम को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य देश में प्रति वर्ष 6,000 मीट्रिक टन (एमटीपीए) की एकीकृत आरईपीएम निर्माण क्षमता स्थापित करना है।

(ग): इस स्कीम के तहत वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पांच लाभार्थियों को लक्षित किया गया है। एक पारदर्शी न्यूनतम लागत प्रणाली (एलसीएस) की परिकल्पना की गई है, जिसमें दो चरणों वाली प्रक्रियाएं अर्थात् तकनीकी बोली और वित्तीय बोली शामिल हैं।

(घ): इस स्कीम की अवधि के लिए 6,450 करोड़ रुपये का बिक्री-आधारित प्रोत्साहन और 750 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी आवंटित की गई है।

(ड) और (च): इस स्कीम का उद्देश्य देश में आरईपीएम के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है, जिससे रोजगार सृजन और घरेलू मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने में सुविधा के अलावा विद्युत परिवहन प्रणाली, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयात पर निर्भरता कम करने में मदद मिलेगी।
